

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक-81/15 (डकैती)

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 15.05.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-गोहद चौराहा,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

बनाम

1. विक्की पुत्र श्रीरामनिवास राजावत आयु 25 वर्ष
व्यवसाय विद्यार्थी, निवासी छोटी भारोली पुलिस थाना
भारोली जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

2. सुनील उर्फ छोटे पुत्र श्री राघवेन्द्र राजावत आयु 16
वर्ष निवासी छोटी भारोली, हाल निवासी सीता नगर
जिला भिण्ड म0प्र0
3. राहुल पुत्र दसवेन्द्र राजावत आयु 16 वर्ष 11 माह
निवासी छोटी भारोली, हाल निवासी कृष्णनगर
जिला भिण्ड म0प्र0

(अभियुक्त सुनील उर्फ छोटे एवं राहुल का अभियोगपत्र किशोर बोर्ड जिला
जिला भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत)

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 24.04.2017 को घोषित)

1. अभियुक्त विक्की उर्फ शनी के विरुद्ध भा.द.स. की
धारा-392/397 एवं 34 तथा 11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण
प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि
उसने दिनांक 24/11/12 को शाम करीब 04:00 बजे या उसके
लगभग लोहिया पुल के पहले बंबा के किनारे जगन्नाथ पुरा के पास के
डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्तगण राहुल एवं सुनील उर्फ छोटे के
साथ मिलकर लूट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके

अग्रसरण में फरियादी रामवीर राठौर और उसकी पत्नी सीमा को कट्टा लगाकर एक जोड़ी सोने के बाला कीमती 10 हजार रूपए, एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का, एक बाली सोने की कीमती 2,200/-रूपए और नकदी 5,400/-रूपए और ड्रायविंग लाइसेंस तथा सुनील जाटव से 2,000/-रूपए नकदी और एक मोबाइल की लूट कारित की।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ भी नहीं है।
3. उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्तगण राहुल एवं सुनील उर्फ छोटे के किशोर होने से उनका अभियोगपत्र किशोर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस कारण यह निर्णय केवल अभियुक्त विक्की उर्फ शनी के संबंध में किया जा रहा है।
4. अभियोजन के अनुसार दिनांक 24/11/12 को शाम करीब 04:00 बजे के लगभग फरियादी रामवीर राठौर अपनी पत्नी श्रीमती सीमा राठौर के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ए.-2668 से गोहद से बजार करके वापिस अपने गांव मानपुरा जा रहा था। जब वह लोहिया पुल के पास पहुंचा तो, पिपाहडी हेड तरफ से एक मोटरसाइकिल पर तीन लडकों ने सामने से आकर रामवीर की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह रुक गया, तब पीछे बैठे दोनों लडकों ने उतर कर रामवीर के सिर में दोनों तरफ कट्टा लगा दिया और रामवीर की जेब से सैमसंग कंपनी का मोबाइल निकाल लिया, जिसमें दो सिम लगी थीं, पेंट की जेब से एक पर्स जिसमें सोने की बाली कीमती 2,200/-रूपए तथा नकदी 5,400/-रूपए थे, छीन लिए। उन लडकों ने रामवीर की पत्नी सीमा के कान से दो सोने की बाली कीमती 10 हजार रूपए उतरवा लीं, तभी वहां से एक लडका सुनील जाटव साइकल लेकर पैदल आ रहा था, उससे भी इंटेक्स कंपनी का मोबाइल व 2,000/-रूपए छीन लिए। उनमें से दो लडकों को रामवीर ने पहचान लिया था। तीनों लडके मोटरसाइकिल पर बैठकर मेहगांव की तरफ भाग गए थे। फरियादी रामवीर ने सुनील के साथ थाना गोहद चौराहे पर जाकर घटना की रिपोर्ट प्र०पी०-04 लिखवाई। जिस पर अपराध क्रमांक 206/12 अंतर्गत धारा-392 भा.दं.सं. एवं 11 तथा 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
5. दौराने अनुसंधान अभियुक्त विक्की राजावत को प्र०पी०-01 के गिरफ्तारी पंचनामा दिनांक 16/11/12 से गिरफ्तार किया गया। उसका धारा-27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया। सह अभियुक्तगण राहुल एवं सुनील उर्फ छोटे के प्र०पी०-06 एवं 07 के मेमोरेण्डम कथन दिनांक 28/11/12 को लिए गए। फरियादी रामवीर राठौर एवं उसकी पत्नी श्रीमती सीमा राठौर एवं सुनील जाटव का प्र०पी०-10 का दिनांक 24/11/12 को पुलिस कथन लिया गया। दिनांक 25/11/12 को साक्षी भगवती प्रसाद का कथन लिया गया।

दिनांक 08/01/13 को रामवीर द्वारा सोने के एक जोड़ी बाला की पहचान कराई गई। जिसका शिनाख्ती मेमो प्र०पी०-08 है दिनांक 27/11/13 को अभियुक्त विक्की उर्फ शनी की शिनाख्ती प्र०पी०-09 की कार्यवाही कराई गई। जिसके अनुसार रामवीर एवं श्रीमती सीमा के द्वारा विक्की उर्फ शनी की उपजेल भिण्ड में पहचान की गई। द टनास्थल का नक्शामौका प्र०पी०-05 दिनांक 24/11/12 को बनाया गया। दिनांक 08/01/13 को अभियुक्तगण सुनील एवं राहुल की शिनाख्ती कार्यवाही कराई गई। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गए।

6. अभियुक्त विक्की उर्फ शनी को उसके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढकर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की धारा-313 दं०प्र०सं० अभियुक्त विक्की का परीक्षण किए जाने पर उसका कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 24/11/12 को शाम करीब 04:00 बजे लोहिया पुल के पहिले बंबा के किनारे जगन्नाथ पुरा के पास के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी रामवीर एवं उसकी पत्नी श्रीमती सीमा से सैमसंग कंपनी के मोबाइल, एक सोने की बाली कीमती 2,200/-रुपए, नकदी 5,400/-रुपए तथा सोने की बालियां कीमती 10 हजार रुपए तथा सुनील जाटव से इन्टेक्स कंपनी का मोबाइल व 2,000/-हजार रुपए की लूट कारित की लूट कारित की गई ?

2. क्या उक्त लूट का सामान अभियुक्त विक्की के आधिपत्य से जप्त किया गया और क्या उक्त लूट अभियुक्त विक्की के द्वारा कारित की गई ?

3. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

8. फरियादी रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने यह बताया है कि दिनांक 24/11/12 को वह अपनी पत्नी सीमा के साथ मोटरसाइकिल से विरखडी की तरफ से अपने गांव मानपुरा जिला भिण्ड आ रहा था, जैसे ही वे रास्ते में बंबा के किनारे कच्चे रास्ते पर बने लोहिया पुल के पास पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर बैठे तीन लडके आए और उन्होंने फरियादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह रुक गया। रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने यह भी बताया है कि उक्त मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दो लडके उतर कर आए और दोनों ने उसके सिर में दोनों तरफ से कट्टा लगाकर सैमसंग मोबाइल जिसमें दो सिम पड़ी थी,

उससे छीन लिया एवं उसकी उसकी जेब से पर्स छीन लिया जिसमें 5,400/-रुपए नकदी थी। उक्त लुटेरे उसकी पत्नी के पहिने हुए कान के बाले एवं नाक की बाली भी लूट कर ले गए थे।

9. रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने यह भी बताया है कि कैथ के पुरा का एक लडका सुनील साइकिल से आया तो उन लुटेरों ने सुनील से 2,000/-रुपए नकद एवं उसका इंटेक्स कंपनी का मोबाइल लूट लिया था, जिसमें एक लडका सांवला ठिगने कद का और एक लडका गोरा पतला था। उसने यह भी बताया है कि इस संबंध में उसने थाना गोहद चौराहे पर रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्र०पी०-04 है। श्रीमती सीमा राठौर अ०सा०-01 फरियादी रामवीर की पत्नी है, उसने रामवीर राठौर अ०सा०-06 की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए तीन लडकों के द्वारा उपरोक्त वस्तुओं की लूट करना बताया है। इसी प्रकार सुनील अ०सा०-07 ने भी मोटरसाइकिल से तीन लडकों का आना और उससे उसका पर्स जिसमें 2,000/-हजार रुपए और वोटरकार्ड व अन्य कागजात तथा इंटेक्स कंपनी का मोबाइल छीन कर भागना बताया है, यह भी बताया है कि रामवीर राठौर ने उसे अपने साथ हुई उपरोक्त लूट की घटना होना भी बताया।

10. भगवती प्रसाद शर्मा अ०सा०-05 ने भी यह बताया है कि रामवीर ने उसे यह बताया था, कि तीन लोगों द्वारा मोटरसाइकिल से आकर कट्टा अडाकर उसकी पत्नी के कान के बाले, नाक की बाली, मोबाइल एवं नकदी की लूट कारित की थी, एक अन्य लडके से भी मोबाइल लूटा था। इस प्रकार से इस साक्षी ने भी उपरोक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि की है कि उनके साथ उपरोक्त प्रकार से लूट कारित हुई थी।

11. महेश शर्मा अ०सा०-04 ने दिनांक 24/11/12 को थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ रहते हुए, रामवीर राठौर के द्वारा तीन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर रुपए, पत्नी के जेवर एवं मोबाइल लूटने की रिपोर्ट करना और उस रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 206/12 अंतर्गत धारा-392 भा.दं.सं. तथा 11 एवं 13 डकैती अधिनियम के तहत प्र०पी०-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कायमी करना बताया है। रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने यह बताया है कि उसकी पत्नी से लूटे गए जेवरातों की पहचान ग्राम पंचायत सर्वा के सरपंच प्रकाश सिंह ने कराई थी, जिसमें उक्त जेवरातों का सही होना पहचाना था, उक्त पंचनामा प्र०पी०-08 होना बताया है। प्र०पी०-08 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 08/01/13 को रामवीर के द्वारा सोने के बाला दो जोड पहचाने गए। इस प्रकार से उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक 24/11/12 को रामवीर, श्रीमती सीमा एवं सुनील के साथ तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उक्त सामग्री की लूट कारित की गई और उनके आधिपत्य से उपरोक्त प्रकार से सोने के जेवरात, मोबाइल एवं नकद राशि लूटे गए।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

- 12.** अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त लूट अभियुक्त विक्की द्वारा राहुल और सुनील के साथ मिलकर की गई थी? इस संबंध में विवेचना अधिकारी महेश शर्मा अ०सा०-04 ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्र०पी०-04 बनाया जाना बताया है, जिसकी पुष्टि रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने भी की है। महेश शर्मा अ०सा०-04 ने ये बताया है कि राहुल ने दिनांक 28/11/12 को मेमोरेण्डम कथन देते हुए बताया था, कि उसके साथ मिलकर अभियुक्त विक्की व सुनील ने लूट की घटना कारित की थी। परंतु धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत यह साक्ष्य अग्राह्य है। इसी प्रकार सुनील के द्वारा लूट की घटना कारित करने वाली साक्ष्य भी अग्राह्य है।
- 13.** महेश शर्मा अ०सा०-04 ने राहुल का उक्त मेमोरेण्डम प्र०पी०-07 होना बताया है। प्र०पी०-06 एवं प्र०पी०-07 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि यह मेमोरेण्डम राहुल एवं सुनील के हैं, राहुल के मेमोरेण्डम में यह तथ्य आया है कि मोबाइल, सोने की बाली एवं नकदी विक्की के पास है। इसी प्रकार सुनील उर्फ छोटे के मेमोरेण्डम प्र०पी०-07 में विक्की के विरुद्ध यह तथ्य है कि तीनों अभियुक्तगण ने आपस में नकदी बांट ली थी। इन तथ्यों के संबंध में महेश शर्मा अ०सा०-04 ने यह साक्ष्य ही नहीं दी है कि नकदी, सोने की बाली एवं मोबाइल विक्की के पास है।
- 14.** इस मामले में राहुल एवं सुनील का विचारण विक्की के साथ नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में राहुल एवं सुनील के द्वारा अभियुक्त विक्की के विरुद्ध की गई संस्वीकृति विचार में ली जाएगी, क्योंकि धारा-30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा, परंतु प्रस्तुत इस प्रकरण में सुनील एवं राहुल का विचारण विक्की के साथ नहीं किया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में राहुल एवं सुनील के द्वारा की गई संस्वीकृति को विचार में नहीं लिया जाएगा।
- 15.** वैसे भी महेश शर्मा अ०सा०-06 ने केवल यह बताया है कि लूट में प्राप्त हुए माल को तीनों ने आपस में बांट लिया है, ऐसा दोनों ने अर्थात् राहुल एवं सुनील ने बताया था, परंतु अनुसंधान अधिकारी का यह कथन अपने आप में अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। सहअभियुक्तगण ने उसे क्या जानकारी दी और किन शब्दों में जानकारी दी, इस बारे में यह साक्षी जानबूझकर मौन है।

16. जहां तक कि विक्की का प्रश्न है, अन्य विवेचना अधिकारी गिरीश कुमार कवरेती अ०सा०-09 ने यह बताया है कि दिनांक 16/11/13 को अभियुक्त विक्की राजावत को भारौली तिराहा मोड भिण्ड पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-01 बनाया था और उसने मेमोरेण्डम कथन देते हुए बताया था कि उसने अपने साथी राहुल व सुनील उर्फ छोटू के साथ दिनांक 24/11/12 को उक्त लूट कारित की थी। यह साक्ष्य अपने आप में ग्राह्य नहीं है। इसके बाद इस साक्षी ने यह बताया है कि विक्की ने यह भी बताया था, कि उसके हिस्से में आए रूपए उसने खर्च कर दिए हैं तथा दोनों मोबाइल फोन व सोने की बाली राहुल के मकान में छिपाकर रख दिए हैं, जिन्हें चलो चलकर बरामद कराए देता हूं। उक्त मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-02 होना बताया है, अन्य दो साक्षी आरक्षक मनोज अ०सा०-02 एवं उदय सिंह अ०सा०-03 ने भी उक्त प्र०पी०-01 की गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम प्र०पी०-02 की कार्यवाही होना बताया है।

17. प्र०पी०-02 के मेमोरेण्डम कथन में यह तथ्य है कि विक्की को दोनों मोबाइल, सोने की एक बाली एवं 5,400/-रूपए नकदी मिले थे जिसमें से रूपए खर्च होना बताया गया है, तथा दोनों मोबाइल व सोने की बाली राहुल के मकान के पीछे छिपाकर रखना बताया गया है, परंतु इस सूचना के आधार पर अभियुक्त विक्की से सोने की बाली या मोबाइल जप्त होने की कोई साक्ष्य नहीं है। इस मामले में अभियोगपत्र के साथ मकान तलाशी पंचनामा संलग्न है, जो यद्यपि अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं कराया गया है। परंतु उसमें यह तथ्य है कि विक्की के मकान की तलाशी लेने पर मोबाइल या सोने की बाली बरामद नहीं हुई है। इस प्रकार से अभियुक्त की सूचना पर से उसके आधिपत्य से कोई वस्तु बरामद होने की साक्ष्य नहीं है और बरामदगी होना प्रमाणित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में धारा-27 भारतीय साक्ष्य विधान के अनुसार यह साबित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान से और अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त वस्तुएं अर्थात् मोबाइल एवं सोने की एक बाली बरामद हुई। इस प्रकार से अभियुक्त विक्की के आधिपत्य से कुछ भी बरामद होना प्रमाणित नहीं होता है।

18. जहां तक राहुल एवं सुनील उर्फ छोटे से बरामदगी का प्रश्न है। साक्षी नरेन्द्र सिंह अ०सा०-10 ने यह बताया है कि दिनांक 24/11/12 को वह थाना सिटी कोतवाली भिण्ड में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। दिनांक 27/11/12 को अपराध क्रमांक 455/12 अंतर्गत धारा-382 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लिखी गई थी। जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है। उन्होंने यह भी बताया है कि उसी अपराध में अभियुक्त सुनील उर्फ छोटू एवं राहुल सिंह का गिरफ्तारी पंचनामा एवं 315 बोर के कट्टे की जप्ती, होण्डा शाइन मोटरसाइकिल व चार जिंदा कारतूस जप्त किए थे, जिनके जप्ती पत्रक की सत्यापित प्रतिलिपियां भी प्रकरण में संलग्न हैं। यद्यपि अभियोजन की ओर से इन दस्तावेजों

को प्रदर्शित नहीं कराया गया है। परंतु उक्त दस्तावेजों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि थाना सिटी कोतवाली भिण्ड के अन्य अपराध क्रमांक 455/12 अंतर्गत धारा-382 भा.दं.सं. एवं 25 एवं 27 आयुध अधिनियम में दिनांक 27/11/12 को राहुल सिंह एवं सुनील को गिरफ्तार किया गया और हस्तगत प्रकरण के अपराध में अर्थात् अपराध क्रमांक 206/12 में दिनांक 28/11/12 को फॉर्मल रूप से गिरफ्तार किया गया है।

19. जप्ती पंचनामों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें जेवरातों में केवल एक सोने का कान का बाला अभियुक्त राहुल सिंह से जप्त है। राहुल सिंह के धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम प्र०पी०-07 में एक बाला सोने का मिलना, अपने घर के कमरे में अलमारी में छिपा कर रखना बताया गया है। जिसके आधार पर राहुल से उक्त जप्ती की गई है। उससे भी अभियुक्त विक्की का कोई संपर्क स्थापित नहीं होता है, क्योंकि विक्की का विचारण राहुल के साथ में संयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। दूसरा यह कि विक्की के धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम के आधार पर न तो राहुल से, न विक्की से कोई भी वस्तु बरामद हुई है, अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि लूट के सामान में से अभियुक्त विक्की के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लूट की कोई वस्तु विक्की या अन्य अभियुक्तगण से जप्त या बरामद हुई है।

20. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि भगवती प्रसाद शर्मा अ०सा०-05 ने यह बताया है कि रामवीर ने उसे तीन अज्ञात लुटेरों के बारे में यह नहीं बताया था कि उनकी उम्र, कद, काठी, हुलिया तथा रंग रूप कैसा था, वह किस तरफ के थे, जिस मोटरसाइकिल से लुटेरे आए थे, वह कौन सी थी। इस प्रकार से साक्षी के कथन से अभियुक्त विक्की की शिनाख्ती प्रकट नहीं होती है। इसी प्रकार श्रीमती सीमा राठौर अ०सा०-01 ने यह बताया है कि उसके साथ घटना कारित करने वाले व्यक्तियों में न्यायालय उपस्थित अभियुक्त विक्की नहीं था।

21. सुनील अ०सा०-07 ने भी अपनी साक्ष्य में पैरा-03 में यह बताया है, कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त विक्की लूट करने वालों में नहीं था। उसे अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है और अभियोजन की ओर से दिए जाने वाले इस सुझाव से इन्कार किया है कि लूट करने वालों में अभियुक्त विक्की भी शामिल था। आर०आर० रावत अ०सा०-08 ने यह बताया है कि दिनांक 27/11/13 को जिला जेल भिण्ड में अभियुक्त विक्की उर्फ शनी की शिनाख्ती परेड की कार्यवाही उनके द्वारा की गई थी तथा शिनाख्तीकर्ता रामवीर व उसकी पत्नी सीमा के द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ शनी को सही पहचाना था। इस साक्षी ने उक्त शिनाख्ती मेमो प्र०पी०-09 तैयार करना बताया है। परंतु वहीं सीमा अ०सा०-01 ने भी किसी शिनाख्ती के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। अपितु न्यायालय उपस्थित अभियुक्त विक्की के बारे में यह बताया है कि वह घटना कारित करने वाले अभियुक्तों में नहीं

था। वहीं रामवीर अ०सा०-06 ने यद्यपि मुख्यपरीक्षण के पैरा-02 में यह बताया है कि हाजिर अदालत अभियुक्त विक्की घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था और लूट के उपरांत अपने साथियों के साथ भाग गया था। जिला जेल भिण्ड में तहसीलदार के द्वारा विक्की उर्फ शनी की पहचान कराई गई थी और उसने विक्की को सही पहचाना था, जिसका मेमोरेण्डम प्र०पी०-09 है।

22. परंतु रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार कर लिया है कि वह अभियुक्त विक्की को नहीं जानता है। उसे नहीं पता कि अभियुक्त विक्की न्यायालय में है या नहीं। हाजिर अदालत आरोपी को वह नहीं जानता है। उसने यह भी बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखाई थी, क्योंकि वह अभियुक्त को नहीं जानता था। यह भी बताया है कि पुलिस ने अभियुक्त विक्की के संबंध में उससे या उसकी पत्नी से पहचान नहीं कराई थी। यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी०-09 पर पुलिस ने थाने पर हस्ताक्षर करा लिए थे। थाने पर वह और उसकी पत्नी साथ गए थे, जहां पर प्र०पी०-09 के दस्तावेज बनाते समय अभियुक्त विक्की उपस्थित नहीं था और वहां प्र०पी०-09 की लिखापट्टी के समय सभी पुलिस वाले थे और अन्य कोई उपस्थित नहीं था।

23. इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी रामवीर राठौर अ०सा०-06 ने इस तथ्य से इन्कार कर दिया है कि हाजिर अदालत आरोपी अभियुक्त विक्की को वह जानता है और शिनाख्ती कार्यवाही पुलिस थाने में होना और वहीं पर प्र०पी०-09 के शिनाख्ती मेमो पर हस्ताक्षर करना तथा वहां केवल पुलिस वालों का होना बताया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त विक्की की शिनाख्ती होना प्रमाणित नहीं होती है और निश्चित तौर पर यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अभियुक्त विक्की ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त लूट की घटना कारित की या नहीं और यह संदेह युक्तियुक्त है।

24. इस मामले में अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त विक्की के द्वारा दिए गए तथ्यों की जानकारी के आधार पर अभियुक्त विक्की से या अन्य अभियुक्तगण से कोई भी लूट का सामान बरामद या जप्त होना प्रमाणित नहीं हुआ है। साथ ही साथ अभियुक्त विक्की की शिनाख्ती भी सुनिश्चित नहीं हुई है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामवीर व सुनील के साथ उक्त लूट कारित की थी। इस प्रकार अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

25. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त विक्की उर्फ शनी के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, कि अभियुक्त विक्की ने दिनांक 24/11/12 को शाम 04:00 बजे या उसके लगभग लोहिया पुल के पहले बंबा के किनारे जगन्नाथ पुरा के पास के डकैती

प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रामवीर, सीमा, एवं सुनील से लूट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में कट्टा लगाकर रामवीर और उसकी पत्नी से सोने की बाली कीमती 2,200/-रुपए, सोने की एक जोड़ी बाली कीमती 10 हजार रुपए तथा नकदी 5,400/-रुपए, एक मोबाइल, ड्रायविंग लाइसेंस तथा सुनील जाटव से एक इंटेक्स कंपनी का मोबाइल तथा दो हजार रुपए की लूट कारित की।

26. फलस्वरूप अभियुक्त विक्की उर्फ शनी को भा0द0सं0 की धारा-392/397 एवं 34 एवं 11 एवं 13 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

27. इस प्रकरण में अभिलेख के अनुसार विक्की उर्फ शनी को दिनांक 16/11/13 को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 20/01/14 को अभियुक्त विक्की उर्फ शनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार जमानत प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अभियुक्त विक्की उर्फ शनी 65 दिवस न्यायिक निरोध में रहा है। तदनुसार धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे। जिसका उपयोग धारा-428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत समायोजन हेतु या आवश्यकता होने पर धारा-433 दं0प्र0सं0 के प्रावधान का उपयोग किए जाने पर किया जा सकता है।

28. अभियुक्त विक्की उर्फ शनी के संबंध में इस प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ भी नहीं है।

29. अभियुक्त विक्की की ओर से धारा-437ए दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत 50 हजार रुपए की जमानत आगामी छः माह के लिए प्रभावशील रहेगी।

30. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अंतर्गत भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड